भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 743

(दिनांक 24.07.2026 को उत्तर देने के लिए)

दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियम, 2026 का प्रारूप

743. श्री नरेश बंसलः

डा. कविता पाटीदारः

श्री रामराव सखाराम वाडकुटेः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत विभिन्न मौजूदा प्रसारण दिशानिर्देशों को एक नियामक ढांचे में समाहित करने के उद्देश्य से दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियम, 2026 का प्रारूप जारी किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन प्रारूप नियमों की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं;

(ग) क्या इन नियमों को अंतिम रूप देने एवं लागू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) नए नियामक ढांचे में उद्योग के सुचारु संक्रमण के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार ने नए अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 की रूपरेखा के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों को समेकित करने के लिए दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियम, 2026 का मसौदा जारी किया है। इन नियमों में निम्नलिखित दिशानिर्देशों को समाहित किया गया है:

क) भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश;

ख) भारत में डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी दिशानिर्देश;

ग) भारत में हेडेंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) प्रसारण सेवाएं प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश;

घ) निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश (चरण III);

ङ) भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए संशोधित नीति दिशानिर्देश; तथा

च) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं के प्रावधान संबंधी दिशा-निर्देश।

इन नियमों से, उद्योग जगत के पास अब एक एकीकृत और काफी सरल नियमावली उपलब्ध होगी। इन नियमों को टेलीविजन और रेडियो प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) को बढ़ावा देते हुए मौजूदा व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इन मसौदा नियमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.gov.in) पर प्रकाशित किया गया है तथा 27 जुलाई, 2026 तक हितधारकों से इनपुट, टिप्पणियां या सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

उद्योग द्वारा नए नियामक ढांचे को अपनाए जाने में सहायता प्रदान करने के लिए मसौदा नियमों में विद्यमान लाइसेंसों/अनुमतियों का नए प्राधिकरण ढ़ांचे में स्वैच्छिक अंतरण का अथवा अंतरण होने तक विद्यमान लाइसेंसों/अनुमतियों को जारी रखने का प्रावधान किया गया है।
